सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 127 / 2016 अपील
पंजीयन दिनांक– 23–12–2016
निर्णय दिनांक – 15–02–2018

1. श्री रतन लाल पिता बृजलाल जी दरोगा, निवासी ग्रम पारसोली तहसील बेगूँ जिला चितौड़गढ़ (राज.)

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री मनोहर लाल पिता हजारी लाल जी,सुनार।
2. श्री राधेश्याम पिता हजारी लाल जी सुनार।
3. श्री जगदीश चन्द्र पिता हजारी लाल जी सुनार ।
4. श्री मनोज कुमार पिता हजारी लाल जी सुनार।
5. मंजु कुमारी पुत्री हजारी लाल जी सुनार ।
6. चन्दा कुमारी पुत्री हजारी लाल जी सुनार ।
7. इन्द्रा कुमारी पुत्री हजारी लाल जी सुनार ।
8. निर्मलाकुमारी पुत्री हजारी लाल जी सुनार।
9. श्रीमती पार्वती बाई पत्नि हजारी लाल जी सुनार, सभी निवासीयान ग्रम पारसाली, तहसील बेगूॅ जिला चितौड़गढ़।
10. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार जी, पारसोली, तहसील बेगूॅ जिला चितौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित–

1– श्री मूरलीधार पालीवाल – वकील अपीलान्ट
2– श्री लालचन्द स्वर्णकार – रेस्पों.संख्या 1 से 9.

अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड़ अधिकारी, बेगूॅ जिला चितौड़गढ़ दिनांक 12.11.2016 प्र.संख्या 05 / 2015..

<u>निर्णय</u>

दिनांक 15.2.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–76के अन्तर्गत उपखण्ड़ अधिकारी, बेगूँ जिला चितौड़गढ़ दिनांक 12.11.2016 प्र.संख्या 05/2015 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है राजस्व ग्राम पारसोली के नामान्तरकरण संख्या 1462 दिनांक 15.12.2014 को नायब पारसोली द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण की प्रथम अपील उपखण्ड़ अधिकारी,बेगूँ के न्यायालय में पेश की गई। उपखण्ड़ अधिकारी बेगूँ द्वारा अपील अपीलान्ट पोषणीय नहीं होना माना है एवं नामान्तरकरण संख्या 1462 दिनांक 15.12.2014 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट सिद्ध नहीं होना मानते हुए खारिज किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन/नोटिस सूचित किया गया। तहत का अभिलेख प्राप्त किया गया। वकील अपीलान्ट की बहस दिनांक 05.02.2018 को सुनी गई तथा वकील रेस्पों. को लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। वकील रेस्पो. ने दिनांक 14.02.2018 को लिखित बहस पेश की ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि अपील मेमों मे वर्णित आराजीयात अपीलान्ट के खातेदारी की है। जिस खातेदारी की भूमि के पास रेस्पों. संख्या 1 से 8 के पिता एवं 9 के पति श्री स्व. हजारी लाल सुनार की खातेदारी की भूमि स्थित है। अपीलान्ट व रेस्पों. संख्या 1 से 8 के पिता व 9 के पति के मध्य अपीलान्ट की आराजी संख्या 1233, 1234,1235 के बारे में एक सिविल वाद विचाराधीन था जिसकी विषय वस्तु अपंजीकृत व अमुद्रांकित विक्रय पत्र था। जिसे रेस्पों सं. 1 से 8 के पिता एवं 9 के पति श्री स्व. हजारी लाल सुनार द्वारा वर्ष 2005 में प्रस्तुत किया गया था, वर्ष 2009 में उक्त वाद में वादी हजारी लाल की मृत्यु हो जाने से अधिवक्ता वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत आदेश –22 नियम– 4 वास्ते नाम कायमी हेतु वादी अधिवक्ता द्वारा लगाया गया

था। वाद की विषय वस्तु दो विक्रय पत्र दिनांक 03.09.1977 एवं 13.03.1982 अपंजीकृत व अमुद्रांकित होने से माननीय सिविल न्यायालय द्वारा साक्ष्य में ग्रहय नहीं माना था, इस पर वादी हजारी लाल द्वारा उक्त आदेश की अपील माननीय उच्च न्यायालय में की गई। जिस पर माननीय उक्च न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेज को साक्ष्य में ग्रहयता बाबत (admissibility in evidence) सक्षम प्राधिकारी को शास्तियों सहित पंजीकृत करते हुए साक्ष्य में ग्रहण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से कलक्टर मुद्रांक द्वारा उक्त दस्तावेज को पंजीकृत करते हुए साक्ष्य हेतु सिविल न्यायालय में वादी द्वारा प्रस्तुत किया जाना था एवं उक्त दोनों विक्रय पत्रों को उभय पक्षें की साक्ष्य लेने के उपरान्त उक्त सिविल प्रकरण को निस्तारित किया जाना था लेकिन वादीगणों द्वारा उक्त कलक्टर मुद्रांक भीलवाड़ा के दोनों विक्रय पत्रों के पंजीयन होने के बाद बिना साक्ष्य में साबित कराये उप तहसीलदार पारसोली द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1462 वादी हजारी लाल के नाम दिनांक 15.12.2014 को खोला गया। जबकि वादी हजारी लाल के अधिवक्ता द्वारा वर्ष 2009 में वादी हजारी की मृत्यु हो जाने से नाम कायमी का पार्थाना पत्र प्रस्तुत किया गया था तो नायब तहसीलदार पारसोली द्वारा मृत हजारी लाल सुनार जो की वर्ष 2009 में ही मृत था जिसका नामान्तरकरण वर्ष 2014 में 6 वर्ष पश्चात मृत व्यक्ति के नाम पर क्यों खोला गया ? दूसरा उक्त विक्रय पत्रों को बिना साक्ष्य में साबित कराये उप तहसीलदार पारसोली द्वारा नामान्तरकरण क्यों कर खोला गया ? आगे यह भी बताया कि वादी हजारी लाल के वारिसानों द्वारा दिनांक 23.10.2009 को सिविल न्यायालय में नाम कायमी होने के बाद उक्त पत्रावली को वादीगण चलाते रहे। दिनांक 17.05.2013 को उक्त वाद साक्ष्य वादी में था जो साक्ष्य न्यायालय में उपस्थित होने के बावजूद वादी/रेस्पोंडेन्टगणों द्वारा साक्ष्य वादी नहीं करायी गयी व वर्ष 2015 में जबकि उक्त तथाकथित ना. करण आदेश 1462 खोला जा चुका था बड़ी चालाकी से उक्त सिविल न्यायालय में चल रहे वाद को नोटप्रेस (Not press) अर्थात वादीगण उक्त वाद को नहीं चलाना चाहते है, में स्वयं ही खारिज करवा दिया गया। जो अपीलान्ट इस अपील से उक्त विधि विरुद्ध ना. करण को निरस्त कराना चाहते है। आगे अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि नियमानुसार अधिनस्थ न्यायालय में जो प्रथम अपील उपखण्ड़ अधिकारी बेगॅू को प्रस्तुत की गई व विधि अनुसार माननीय जिला कलक्टर के यहां होनी चाहिये थी जो उपखण्ड़ अधिकारी बेगॅू को प्रस्तुत कर दी गई जिस पर माननीय

अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बेगूँ द्वारा अपने दिये गये आदेश दिनांक 12.11.2016 द्वारा क्षेत्राधिकार न होना मानते हुए भी अपील मेरीट पर खारिज कर दी गई। जबकि नियमानुसार उक्त अपील क्षैत्राधिकार पर पोषणीय न होने से एक साधारण आदेशिका के साथ सम्बन्धित न्यायालय में बिना अपना मत प्रकट किये लौटा दी जानी चाहिये थी जो नहीं लौटायी गयी व अपना मत प्रकट करते हुए अपील को सिद्ध न मानते हुए मेरीट पर खारिज कर दी गई है इसलिए उक्त अपील द्वितीय अपील होकर आप न्यायालय को श्रृवणाधिकार होने से यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है। साथ ही उक्त अपील केम्प कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत में बिना अपीलान्ट को सुने खारिज कर दी गई है जिससे भी उक्त विधि विरुद्ध नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त अपीलान्ट द्वारा उपरोक्त विधिक बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अपील स्वीकार फरमाते हुए विधि विरुद्ध हुए नामान्तरकरण संख्या 1462 दिनांक 15.12.2014 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पों. ने लिखित बहस में कथन किया कि हजारी लाल सोनी ने अपने स्वामित्व की आराजीयात में आने जाने हेतु रास्ता चाहने बाबत एक वाद सिविल न्यायालय बेगूँ में प्रस्तुत किया था। वाद के विचारण के दौरान हजारी लाल जी का देहान्त हो जाने से उनके वारिसान को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया था। हजारीलाल जी द्वारा सिविल में दो अपंजीकृत विक्रय पत्र प्रस्तुत किये थे जिनको माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट पीटीशन के आदेश से स्टाम्प ड्यूटी एवं पेनल्टी जिला कलक्टर मुद्रांक वृत भीलवाड़ा को जमा करवा कर पंजीयन करवाया । उक्त प्रकरण को बाद में नोट प्रेस के जरिये निस्तारित करवा दिया। उक्त विक्रय पत्रों की स्टाम्प डयूटी जमा होने पर रेस्पोंडेन्ट ने पटवार हल्का पारसोली के यहॉ आराजी संख्या 1233, 1234, 1235 के क्रय शुदा हिस्से के नामान्तरकरण बाबत कार्यवाही के तहत नामान्तरकरण संख्या 1462 दिनांक 15.12.2014 के जरिये आराजी संख्या 1717/1233, 1718/1234, 1719/1235 हजारीलाल के नाम दर्ज की गई। हजारी लाल के देहान्त होने से भूमि उनके वारिसान के नाम पर दिनांक 15.07.2015 को दर्ज की गई। अपीलान्ट ने नामान्तरकरण संख्या 1462 दिनांक 15.12.2014 के विरुद्ध अपील पेश की है जो पूरी तरह से गलत है। अपीलान्ट द्वारा भूमि विक्रय की गई है और उस विक्रय पर जो नामान्तरकरण खोला है वह पूरी तरह से सही है। विक्रय पत्र पूर्ण स्टाम्प डयूटी पर नहीं था तो रेस्पों. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय

की रीट पिटीशन संख 5846/2007 के निर्णय दिनांक 23.01.2009 के जरिये न्यायालय कलक्टर मुद्रांक भीलवाड़ा को कमी स्टाम्प ड्यूटी एवं पेनाल्टी जमा करवायी गयी। इसी आधार पर नामान्तरकरण खोला गया जो सही है। साथ ही यह भी बताया कि नायब तहसीलदार पारसोली द्वारा खोले गये नामान्तरकरण की अपील भी माननीय जिला कलक्टर के यहॉ प्रस्तुत नहीं कर न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बेगॅू में प्रस्तुत की थी जो निरस्त योग्य थी। रेस्पों ने अपीलान्ट से भूमि अपंजीकृत विक्रय विलेख के क्रय की थी। इसलिए इस विक्रय विलेख को धारा 35 स्टाम्प अधिनियम के तहत माननीय उच्च न्यायालय की रिट पिटीशन के आदेश के जरिये कमी स्टाम्प की पूर्ती की गई तथा पेनाल्टी भी जमा करायी गयी। सारी पूर्ति करने के बाद उक्त विक्रय विलेख से नामान्तरण संख्या 1462 खोला गया जो पूरी तरह से सही है। अन्त में अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाये जाने का कथन किया।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट का यह कथन कि प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय में जो प्रथम अपील उपखण्ड़ अधिकारी बेगॅू को प्रस्तुत की गई व विधि अनुसार माननीय जिला कलक्टर के यहां होनी चाहिये थी जो उपखण्ड़ अधिकारी बेगॅू को प्रस्तुत कर दी गई जिस पर माननीय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बेगॅू द्वारा अपने दिये गये आदेश दिनांक 12.11.2016 द्वारा क्षेत्राधिकार न होना मानते हुए भी अपील मेरीट पर खारिज कर दी गई। जबकि नियमानुसार उक्त अपील क्षैत्राधिकार पर पोषणीय न होने से एक साधारण आदेशिका के साथ सम्बन्धित न्यायालय में बिना अपना मत प्रकट किये लौटा दी जानी चाहिये थी जो नहीं लौटायी गयी व अपना मत प्रकट करते हुए अपील को सिद्ध न मानते हुए मेरीट पर खारिज कर दी गई। अधिवक्ता रेस्पों. ने भी बताया कि नायब तहसीलदार पारसोली द्वारा खोले गये नामान्तरकरण की अपील माननीय जिला कलक्टर के यहॉ प्रस्तुत नहीं कर न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बेगॅू में प्रस्तुत की थी जो निरस्त योग्य थी। उपरोक्त तथ्यों के मद्दे नजर रखते हुए हम प्रकरण को जिला कलक्टर चितौड़गढ़ को नियमानुसार पक्षकारों को सुनकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, बेगूॅ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण नियमानुसार पक्षकारों को सुनकर नये सिरे से विधिवत् निर्णय पारित करने हेतु जिला कलक्टर चितौगढ को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर